कार्यालय परियोजना निदेशक (आवासन)
राजस्थान शहरी पेयजल, सीवरेज एवं आधारभूत विकास निगम लिमिटेड
4-स-24, जवाहर नगर जयपुर-302004 (राज.)
•फोन एवं फेक्स•: 0141 - 2652969-70 ई-मेल:pdhousingrudsico@gmail.com

क्रमांक: RUDSICO/PD-Housing / 2019-20 / 280 दिनांक:- 03/06/19

सचिव,
विकास प्राधिकरण,
जयपुर / जोधपुर / अजमेर (राज.)

सचिव,
नगर विकास न्यास,
समस्त (राज.)

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका,
समस्त (राज.)

विषय :- **JnNURM के तहत बीएसयूपी / आईएचएसडीपी योजनाओं तथा राजीव आवास योजना में निर्मित रिक्त आवासों (रि-लोकेशन) का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत किये जाने हेतु दिशानिर्देश के संबंध मे।**

सन्दर्भ :- **सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, केन्द्र सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्रांक पत्रांक 17024 / 06 / 2017 / एचएफए-3 दिनांक 06.11.2017 ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि उक्त योजनाओं की प्रगति समीक्षा के दौरान यह देखा गया है कि इन योजनाओं के तहत रि-लोकेशन श्रेणी के आवास निर्मित तो किये जा चुके है परन्तु डीपीआर में सूचीबद्ध लाभार्थी द्वारा आवास लेने में इच्छुक नही होने के कारण व अन्य कारणों से निर्मित आवासों का आवंटन एवं कब्जा पूर्णतः नही हो पा रहा है। इस हेतु संदर्भित पत्रानुसार भी केन्द्र सरकार द्वारा लाभार्थियां की उपलब्धता नही होने पर इन आवासों का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत आवंटित करने की सहमति प्रदान की जा चुकी है।

अतः आवंटित हो चुके आवासों का भौतिक कब्जा देने व शेष रहें आवासों का आवंटन हेतु निम्नानुसार दिशानिर्देश जारी किये जाते है :-

(A) बीएसयूपी एवं आईएचएसडीपी योजना के अन्तर्गत रिक्त पडी आवासीय ईकाईयों के आवंटन हेतु दिशानिर्देश-

1. नवीन लाभार्थियों का चयन किये जाने से पूर्व मूल डीपीआर में सूचिबद्ध लाभार्थी को आवास आवंटन / भौतिक कब्जा का सर्वप्रथम अवसर प्रदान किये जाने हेतु एक सूचना स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित कर, साथ ही पत्राचार के माध्यम से आवंटी सात दिवस के अन्तर्गत आवंटी से सहमति प्राप्त कर आवंटन / कब्जा पत्र जारी किया जायेगा।
2. समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन के पश्चात् भी लाभार्थियों द्वारा आवास आवंटन / कब्जा हेतु रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में संबंधित नगर निकायों द्वारा BSUP व IHSDP योजना के दिशानिर्देश अनुसार अन्य कच्ची बस्ती के परिवारों को आवास आवंटन हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कर आवेदन लेना होगा तथा आवासीय ईकाईयों से अधिक आवेदन आने पर लॉटरी द्वारा आवंटन किया जायेगा।
3. कच्ची बस्तियों में पात्र लाभार्थी की उपलब्ध्ता न होनें पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय 3.00 लाख तक) के अन्तर्गत योग्य परिवारों को आवास आवंटन किया जायेगा।
4. BSUP व IHSDP योजनान्तर्गत शेष रहें आवासों का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत किये जाने पर अनुदान राशि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अनुसार देय होगी।
5. आवंटन दर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 में निर्धारित की गई दर व दिशानिर्देश अनुसार ही होगी। अनुदान पश्चात् बकाया राशि लाभार्थी द्वारा जमा करवायी जायेगी।
6. आवासीय ईकाईयों का संबंधित नगर निकायों द्वारा बेचान किसी भी परिस्थिति में बाजार दर पर किया जाकर लाभ अर्जित नहीं किया जायेगा।

निरन्तर.......

Scanned by CamScanner

(B) **राजीव आवास योजना के अन्तर्गत रिक्त पडी आवासीय ईकाईयों के आवंटन हेतु दिशानिर्देशः–**

1. नवीन लाभार्थियों का चयन किये जाने से पूर्व मूल डीपीआर में सूचिबद्ध लाभार्थी को आवास आवंटन/भौतिक कब्जा का सर्वप्रथम अवसर प्रदान किये जाने हेतु एक सूचना स्थानीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से प्रकाशित कर, साथ ही पत्राचार के माध्यम से सात दिवस के अन्तर्गत आवंटी से सहमति प्राप्त कर आवंटन/कब्जा पत्र जारी किया जायेगा।
2. समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशन के पश्चात् भी लाभार्थियों द्वारा आवास आवंटन/कब्जा हेतु रिपोर्ट नहीं करने की स्थिति में संबंधित नगर निकायों द्वारा राजीव आवास योजना के दिशानिर्देश अनुसार अन्य कच्ची बस्ती के परिवारों को आवास आवंटन हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कर आवेदन लेना होगा। इस हेतु आवश्यकता अनुसार पूर्व में जारी Cut off Date "15 अगस्त 2009" में शिथिलता हेतु राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त करना होगा।
3. उपलब्ध आवासीय ईकाईयों से अधिक आवेदन प्राप्त होनें पर योग्य लाभार्थियों का लॉटरी से चयन किया जावेगा।
4. कच्ची बस्तियों में पात्र लाभार्थी की उपलब्धता न होनें पर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (वार्षिक आय 3.00 लाख तक) के अन्तर्गत योग्य परिवारों को आवास आवंटन किया जायेगा।
5. राजीव आवास योजनान्तर्गत शेष रहें आवासों का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत किये जाने पर अनुदान राशि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अनुसार देय होगी।
6. आवंटन दर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 में निर्धारित की गई दर व दिशानिर्देश अनुसार ही होगी। अनुदान पश्चात् बकाया राशि लाभार्थी द्वारा जमा करवायी जायेगी।
7. आवासीय ईकाईयों का संबंधित नगर निकायों द्वारा बेचान किसी भी परिस्थिति में बाजार दर पर किया जाकर लाभ अर्जित नहीं किया जायेगा।

अतः JnNURM के तहत बीएसयूपी/आईएचएसडीपी योजनाओं तथा राजीव आवास योजना में निर्मित रिक्त आवासों (रि–लोकेशन) का आवंटन उपरोक्त दिशानिर्देशानुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में करवाना सुनिश्चित करावे, जिससे की निर्मित आवासों का सदुपयोग हो सकें।

<u>उक्त का अनुमोदन सक्षम स्तर से प्राप्त है।</u>

परियोजना निदेशक (आवासन)
नोडल अधिकारी PMAY (U)
रूडसिको, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, जयपुर।
5. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/कोटा/अजमेर/भरतपुर (राज.) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त की अनुपालना सुनिश्चित करावे।

महाप्रबधंक (आवासन)

Scanned by CamScanner